IBT™
IBT INSTITUTE PVT. LTD.

बैंकिंग एवं सामान्य ज्ञान

COURSE BOOK

Helpline : 96 96 96 00 29 | 0181-4606260
www.ibtindia.com

विषय-सूची

अनुभाग- 1

अध्याय-1

भारत में बैंकिंग प्रणाली 3

अध्याय-2

रिजर्व बैंक, कार्यकलाप एवं मुद्रा नीति 21

अध्याय-3

मुद्रास्फ़ीति 26

अध्याय-4

भारत में योजना 34

अध्याय-5

वित्तीय तंत्र 38

अध्याय-6

राजकोषीय तंत्र 46

अध्याय-7

विदेशी व्यापार 52

अध्याय-8

राष्ट्रीय आय 55

अध्याय-9

वृद्धि बनाम विकास 59

अध्याय-10

बीमा 66

अध्याय-11

बैंकिंग तथा वित्तीय नियम- I 69

अध्याय-12

बैंकिंग तथा वित्तीय नियम- II 75

अध्याय–13

भारत में भुगतान बैंक 80

अध्याय–14

कार्ड के प्रकार 82

अध्याय–15

एनपीए और सरफेसी अधिनियम 84

अध्याय–16

म्यूचुअल फंड्स 87

अध्याय–17

विविध 89

अध्याय–18

बैंकिंग संक्षिप्त शब्द 99

अनुभाग– 2

अभ्यास परीक्षण – 01 105

अभ्यास परीक्षण – 02 107

अभ्यास परीक्षण – 03 109

अभ्यास परीक्षण – 04 111

अभ्यास परीक्षण – 05 113

अभ्यास परीक्षण – 06 115

अनुभाग- 1

1 भारत में बैंकिंग प्रणाली

देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग Áणाली एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के समाज में बैंकिंग संस्था एक अनिवार्यता बन गई है। यह देश के आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाती है और एक विकसित देश में मुद्रा बाज़ार के आधारिक स्वरूप को आकार देती है।

बैंक एक ऐसी **विÙीय संस्था** होती है जो राशि जमा करने, ऋण देने तथा इनसे जुड़ी अन्य सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। जो लोग अपनी बचत को जमा के रूप में रख देना चाहते हैं उनसे पैसा लेकर यह उन लोगों को उस पैसे को उधार दे दिया जाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारत में बैकिंग परिचालन को संचालित करते है।

भारत के बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग को ''जनता से पैसे की जमा राशि को उधार देने या निवेश के उद्देश्य से, मांग पर लौटाने या अन्यथा चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर या अन्यथा से वापस लेने के लिए स्वीकार करना परिभाषित करता है।

भारतीय बैंकिंग संरचना

भारत सरकार
↓
वित्त मंत्रालय
↓
भारतीय रिज़र्व बैंक
↓
बैंक
↓

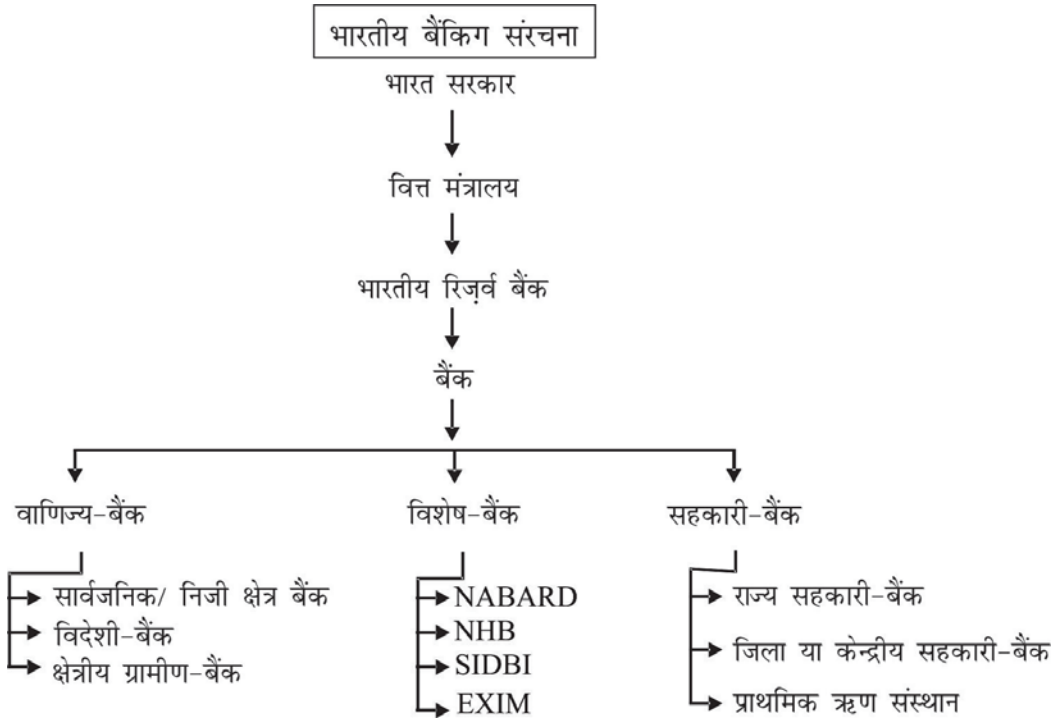

- वाणिज्य-बैंक
  - सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र बैंक
  - विदेशी-बैंक
  - क्षेत्रीय ग्रामीण-बैंक
- विशेष-बैंक
  - NABARD
  - NHB
  - SIDBI
  - EXIM
- सहकारी-बैंक
  - राज्य सहकारी-बैंक
  - जिला या केन्द्रीय सहकारी-बैंक
  - प्राथमिक ऋण संस्थान

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ¼रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया - आरबीआई½ भारत का वह केंद्रीय बैंक है जो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत बना और 1935 में स्थापित हुआ। अर्थव्यवस्था को अनुशासित रखने के लिए यह बैंक समय-समय पर अपनी मुद्रा नीतियों तथा ऋण नीतियों को अपडेट करते हुए मुद्रा के पूरे निर्गम तथा संचलन को नियंत्रित करता है।

विदेशी मुद्रा की नीतियों को लागू करने के वास्ते यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। विदेशी मुद्रा का व्यापार बढ़ाने, विदेशी मुद्रा के लेन-देन का लेखा-जोखा रखने तथा उसके भुगतान का संतुलन ¼बीओपी½ बनाए रखने के लिए यह भारत सरकार के सहायक के रूप में काम करता है। इसे बैंकों का आखिरी सहारा भी कहा जाता है।

अनुसूचित बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है।

ये बैंक दो शर्तों को पूरा करते हैं:

1. बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा एकत्रित निधि 5 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए।

2. बैंक की किसी भी गतिविधि से जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए।

किसी भी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या अन्य निजी क्षेत्र के बैंक की बैठक इन मानदंडों को अनुसूचित बैंक के रूप में उत्तीर्ण करता है।

गैर अनुसूचित बैंक

अन्य वाणिज्यिक बैंक जो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाले विशेषाधिकार तथा सुविधाओं के हकदार नहीं हैं।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

ये बैंक सरकार के स्वामित्व में और सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी इनमें कम से कम 51 प्रतिशत भागीदारी सरकार की रहती है। भारतीय बैंकिंग में सार्वजनिक क्षेत्र अपनी वर्तमान अवस्था में तीन चरणों में पहुंचा है - सबसे पहला है 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया का स्वरूप बदल कर भारतीय स्टेट बैंक ¼स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया - एसबीआई½ का बनाया जाना और उसके कुछ साल बाद इसके सात सहायक बैंको का बनाया जाना, दूसरा है 14 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना, और तीसरा है 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना। उनमें से एक, यानी न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया, का बाद में पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया।

देश के बैंकिंग क्षेत्र का 92 प्रतिशत हिस्सा सरकारी नियंत्रण में होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंकिंग में एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तीन वगो± में बांटा जा सकता है -

(1) स्टेट बैंक ग्रुप

(2) राष्ट्रीयकृत बैंक तथा

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

(1) स्टेट बैंक ग्रुप

स्टेट बैंक का मूलत: जन्म 19वीं सदी में 2 जून 1806 को कलकŸkI में 'द बैंक ऑफ़ कलकŸkI' के रूप से हुआ था। तीन वर्ष बाद इस बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और 2 जनवरी 1809 को इसे 'द बैंक ऑफ़ बंगाल' का नया नाम दिया गया। अपने तरह की यह अकेली ही बैंकिंग संस्था थी, और गवर्नमैंट ऑफ़ बंगाल द्वारा प्रायोजित ब्रिटिश भारत का यह पहला जॉइंट-स्टॉक बैंक था।

'द बैंक ऑफ़ बॉम्बे' ¼15 अप्रैल 1840½ तथा 'द बैंक ऑफ़ मद्रास' ¼1 जुलाई 1843½ ने भी द बैंक ऑफ़ बंगाल का रास्ता अपनाया। ये तीनों बैंक, 27 जनवरी 1921 को इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया के रूप में विलय हो जाने तक, भारत में आधुनिक बैंकिंग के शीर्ष पर रहे।

- **केंद्रीय कार्यालय:** मुंबई
- **स्थापना दिवस:** 1 जुलाई 1955
- **नीतिवाक्य:** 'सिर्फ़ बैंकिंग, और कुछ नहीं', 'हमेशा आपके साथ', 'आम आदमी का बैंक', 'हर भारतीय का बैंक' 'देश हम पर भरोसा करता है'।
- शाखाओं की कुल संख्या 24,000 से अधिक पहुंच गई है।
- स्टेट बैंक ग्रुप के एटीएम 51,491, जिनमें अकेले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के एटीएम 43,515 हैं।
- स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के वर्तमान चेयरपर्सन **रजनीश कुमार** हैं।

(2) राष्ट्रीयकृत बैंक:

स्वतंत्रता के समय, भारत में 4800 शाखाओं के साथ 645 बैंक थे। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1969 को चौदह प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीय करण किया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक थी।

ये बैंक हैं:

- पंजाब नेशनल बैंक
- सेंन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
- युनाइटेड कमर्शियल बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया,
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- इलाहाबाद बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- केनरा बैंक
- देना बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- सिंडिकेट बैंक और
- इंडियन बैंक

15 अप्रैल, 1980 को **छ: अन्य बैंकों का राष्ट्रीय करण** किया गया जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रूपये से अधिक थी।

ये बैंक हैं:

- आंध्रा बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया
- विजया बैंक
- कॉर्पोरेशन बैंक
- ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

नोट: बाद में 1993 में, न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया तथा अब कुल राष्ट्रीयकृत बैंको की संख्या 19 है।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय स्थानीय स्तर की बैंकिंग संस्थाएं हैं। मूलभूत बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के साथ भारत के ग्रामीण इलाकों की सेवा के लिए मुख्य रूप से इनका निर्माण किया गया। हालांकि, आरआरबी शहरी परिचालनों के लिए स्थापित शाखाएँ रख सकता हैं तथा उनके कार्य क्षेत्र शहरी क्षेत्रों के साथ भी शामिल हो सकते हैं। आरआरबी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों से वित्तीय संसाधनों को जुटाने तथा छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगरों के लिए ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना है।

इन बैंकों का कार्यक्षेत्र भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित रहता है जो कि किसी राज्य के एक या अधिक जिलों का होता है। ये बैंक अनेक तरह के अन्य कार्यकलाप भी करते हैं। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं:

- ग्रामीण तथा अर्धनगरीय क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना।
- कुछ सरकारी काम करना, जैसे मनरेगा में काम करने वालों को मज़दूरी का भुगतान करना, पेंशन का भुगतान करना, आदि।
- पैरा-बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे लॉकर, डैबिट व क्रैडिट कार्ड आदि।

इन बैंकों की इक्विटी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक द्वारा **50:15:35 के अनुपात में** रखा जाता है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि छोटे व मार्जिनल किसानों, खेतिहर मज़दूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण देते हुए वे ग्राम्य अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए विशेष ग्राम्य विÝkीय संस्थानों की भूमिका निभाएं।

इतिहास

कृषि तथा गांव के अन्य वर्गों को ऋण सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य से ये बैंक एक अध्यादेश तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत **26 सितंबर 1975** को स्थापित किए गए थे। इनकी स्थापना इंदिरा गांधी के शासन काल के दौरान गठित **नरसिंहम वर्किंग ग्रुप** की सिफ़ारिशों के आधार पर इस नज़रिए से की गई थी कि ग्राम्य क्षेत्र को भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल किया जाए क्योंकि उस समय में तत्कालीन जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गांवों में ही बसता था।

इन बैंकों की विकास प्रक्रिया **2 अक्टूबर 1975 को आरंभ** हुई जब **प्रथमा बैंक नामक पहला आर.आर.बी.** स्थापित हुआ था। 2 अक्टूबर 1976 को पांच अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुए जिनकी कुल अधिकृत राशि 100 करोड़ थी जिसे बाद में बढ़ा कर 500 करोड़ कर दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक का रहता है। (जो पांच वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक रहे हैं, वे हैं पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक।) क्षेत्रीय बैंकों के शेयरों का अनुपात इस प्रकार रहता है: केंद्र सरकार 50 प्रतिशत, राज्य सरकार 15 प्रतिशत और प्रायोजक बैंक 35 प्रतिशत।

पहले, इन बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर पर रिज़र्व बैंक ने सीमा तय कर रखी थी, लेकिन अगस्त 1966 से इन बैंकों को ब्याज लेने में छूट दे दी है जो कि ऋण के लिए 14-18 प्रतिशत रहती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण

2009 में वित्त मंत्री द्वारा इन बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा किए जाने के बाद, यह महसूस किया गया कि बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी 'रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो (सीआरएआर) के लिए बहुत कम है। अत: **के.सी.चक्रवर्ती** (रिज़र्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर) की अध्यक्षता में सितंबर 2009 को एक समिति इस प्रयोजन से गठित की गई कि वह इन बैंकों की वित्तीय अवस्था का विश्लेषण करे और इनके पुन: पूंजीकरण तथा अन्य आवश्यक कदमों की सिफ़ारिशें करें ताकि इन बैंकों की सीआरएआर को 2012 तक 9 प्रतिशत की वहनीय अवस्था में रखा जा सके। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी सीआरएआर 31 मार्च 2011 को कम से कम 7 प्रतिशत तक लानी होगी और 31 मार्च 2012 को और आगे कम से कम 9 प्रतिशत रखनी होगी। इन 82 में से 40 बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए 2,200 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। इस राशि को 2010-11 व 2011-12 में दो किश्तों में दिया जाये।
- बाकी 42 आर.आर.बी. को कोई पूंजी दिए जाने की आवश्यकता नहीं है और वे अपनी सीआरएआर को 31 मार्च 2012 को व बाद में भी 9 प्रतिशत बनाए रखने में स्वयं सक्षम हैं।
- आर.आर.बी स्टाफ़ को प्रशिक्षण तथा क्षमता वृद्धि के लिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

संरचनात्मक गठन

आर.आर.बी. का संरचनात्मक गठन प्रत्येक शाखा में अलग-अलग होता है जो कि उस शाखा द्वारा किए जा रहे व्यवसाय के आकार व प्रकार पर निर्भर करता है। किसी आर.आर.बी के मुख्य कार्यालय में आमतौर पर तीन से सात विभाग हुआ करते हैं।

इन बैंकों में अधिकारियों के निर्णय लेने वाले अधिकारियों का सोपान इस प्रकार होता है:

- निदेशक मंडल
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

- महाप्रबंधक
- मुख्य प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक
- वरिष्ठ प्रबंधक
- प्रबंधक
- अधिकारी/सहायक प्रबंधक
- सहायक

समामेलन

फ़िलहाल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समामेलन (एमलगमेशन) तथा समेकन (कंसोलिडेशन) की प्रक्रिया में से गुज़र रहे हैं। 31 मार्च 2006 को, यानी समामेलन से पहले, 525 ज़िलों में फैले इन बैंकों की संख्या 133 थी और इनकी शाखाओं की संख्या 14,494 थी। आरंभ में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कल्पना कम लागत वाली एक ऐसी संस्था के रूप में की गई थी जिसमें ग्रामीण सह-अनुभूति हो, स्थानीय अपनत्व हो और जो ग़रीबों का ध्यान रखने वाली हो। लेकिन, कुछ समय बाद ही अधिकांश ऐसे बैंक नुकसान में जाने लगे। इन संस्थाओं का कम लागत वाला होने का पूर्वानुमान ग़लत सिद्ध हुआ। अत: इन सभी का निकट भविष्य में विलय कर दिया जायेगा। जनवरी 2013 में 25 आर. आर.बी 10 आर.आर.बी में विलय कर दिया गया है। जून 2013 के प्रथम सप्ताह तक भारत में 57 आर.आर.बी रह गई थीं।

देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूची

क्रमांक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	प्रायोजक बैंक का नाम	राज्य
1.	इलाहाबाद यू.पी. ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
2.	आंध्रा प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	आंध्रा प्रदेश
3.	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	आंध्रा प्रदेश
4.	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	अरुणाचल प्रदेश
5.	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया	असम
6.	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया	प. बंगाल
7.	बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ बड़ोदा	गुजरात
8.	बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक	बैंक ऑफ़ बड़ोदा	राजस्थान
9.	बड़ोदा यू.पी. ग्रामीण बैंक	बैक ऑफ़ बड़ोदा	उत्तर प्रदेश
10.	बिहार ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	बिहार
11.	सैंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	सैंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	मध्य प्रदेश
12.	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	आंध्रा प्रदेश
13.	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	छत्तीसगढ़
14.	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद	आंध्रा प्रदेश
15.	इलाकाई देहाती बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	जम्मू-कश्मीर
16.	ग्रामीण बैंक ऑफ़ आर्यावर्त	बैंक ऑफ़ इंडिया	उत्तर प्रदेश
17.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	हिमाचल प्रदेश
18.	जे एंड के ग्रामीण बैंक	जे एंड के बैंक लिमिटेड	जम्मू-कश्मीर
19.	झाड़खंड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया	झाड़खंड
20.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	कर्नाटक
21.	काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	उत्तर प्रदेश
22.	कावेरी ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर	कर्नाटक
23.	केरल ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	केरल
24.	लंगपी देहांगी रूरल बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	असम
25.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	मध्य प्रदेश
26.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	बिहार
27.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
28.	मणिपुर रूरल बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया	मणिपुर